राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1902/2012/अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
कार्य संविदा एवं पट्टा कर, अजमेर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स साईं बाबा इन्फ्राकोन प्रा0 लि0
1/86, न्यू हाउसिंग बोर्ड, गढ़ी मालियान,
मसूदा रोड, ब्यावर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ.पी. दौसाया
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/04/2018

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 69/11–12/ईसी/ब्यावर में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्य संविदा एवं पट्टा कर, अजमेर (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) की धारा 25, 55 के तहत जारी ई.सी. न. 1588/35 जारी दिनांक 31.08.2011 के तहत् प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुये प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार किया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा धारा 83 में उक्त अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं प्रत्यर्थी को श्री सीमेन्ट लि0, बांगड़नगर, ब्यावर अवार्डर से श्री सीमेन्ट लि0, बांगड नगर, ब्यावर के द्वारा मैन प्लान्ट में मिसलेनियस, सिविल वर्क इन सीसीपी यूनिट–7 और 8 में आदि का कार्य/निर्माण करने का कार्यादेश सं. 131 दिनांक 02.06.2011 के द्वारा दिया था इस कार्य हेतु इस ठेका कार्य के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ 12(63) एफ डी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 के तहत कर मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र के लिए प्रत्यर्थी ने स्वयं को आईटम सं. 2 में मानते हुए 1.50 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क (ई.सी.) के लिए आवेदन किया था। कर निर्धारण अधिकारी ने मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र रजिस्टर सं. 159/ब्यावर/2011–12/दिनांक 31.08.2011 जारी किया है जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि प्रत्यर्थी का यह ठेका कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना की सारणी में क्रम सं0 3 की श्रेणी में आता है, इसलिए मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र की शर्तों के तहत कार्य किया जाना तथा प्रत्यर्थी का ठेका कार्य मुक्ति शुल्क हेतु आवेदन के विरूद्ध कार्य मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने ई.सी. आवेदन में वर्णित कार्य को कार्य आदेश से बाहर मानते हुए

लगातार.....2

अधिसूचना के क्रम सं0 3 में शुमान मानते हुए प्रत्यर्थी पर 2.25 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र हेतु आवेदन में 1.50 प्रतिशत को अस्वीकार कर दिया, कि प्रत्यर्थी का ठेका कार्य उक्त संदर्भित अधिसूचना के क्रम सं0–2 से संबंधित नहीं होने के इस आदेश में ठेका वेल्यू 40.84 लाख पर अन्तर कर दर 0.75 प्रतिशत से राशि रूपये 30,630/– आरोपित किये जाने को इस अपील में विवादित किया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का तर्क है कि प्रत्यर्थी को श्री सीमेन्ट लि0, बांगड़नगर, ब्यावर अवार्डर से श्री सीमेन्ट लि0, ब्यावर की यूनिट में मैन प्लान्ट में मिसलेनियस सिविल वर्क इन सीपीपी यूनिट में आदि का कार्य/निर्माण करने का कार्यादेश का ठेका सं0 131 दिनांक 02.06.2011 के द्वारा दिया था। यह कार्य ऐसे कार्यों के लिए किये जाने थे जहां ठेका हुआ उस प्लान्ट में उक्त वर्णित कार्यादेश में वर्णित की सुविधा नहीं है। उक्त वर्णित कार्य करने के लिए अवार्डर के जरिये ऐसे कार्यों का निर्माण करवाती है। जिसमें बिल्डिंग के तहत जारी योजना का लाभ उठा सकें, के संबंध में प्रत्यर्थी को अवार्डर द्वारा जारी कार्यादेश प्रमाण पत्र पेश किया है, जिसके अनुसार ही कार्य निर्माण किया जाना माना है।

उक्त कार्यादेश के तहत श्री सीमेन्ट लि0, बांगड़नगर, ब्यावर की योजना के तहत करवाये जा रहें हैं। उक्त वर्णित कार्य राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ 12(63) एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 के तहत 1.50 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, के तहत निर्माण किया है, जिसे विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2.25 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया जिसे विधि विरूद्ध बताया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का तर्क है कि प्रत्यर्थी का यह कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार सारणी के क्रम सं0–2 में वर्णित वर्क कॉन्ट्रेक्ट रिलेटिंग टू बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, डेम, केनाल, सीवरेज सिस्टम से संबंधित होने के कारण इस कार्य पर 1.50 प्रतिशत की दर से छूट है, इसलिए प्रत्यर्थी के द्वारा मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र हेतु आवेदन में 1.50 प्रतिशत की दर से ही मुक्ति शुल्क छूट के लिए निवेदन किया था व इन कार्यादेश बाबत् वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर अजमेर के द्वारा आदेश क्रमांकः मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र सं0 1588/35 जारी दिनांक 31.08.2011 रजिस्टर सं0 159/ब्यावर/2011–12/दिनांक 31.08.2011 के जरिये मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र में 2.25 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रत्यर्थी ने इस जारी मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र को विधि विरूद्ध बताया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार न्यायोचित नहीं होना बताते हुए कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा जारी आदेश में मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र में 1.50 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क की छूट दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

लगातार.....3

अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.08.2012 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के क्रम सं0 2 में 1.50% प्रतिशत से मुक्ति शुल्क के लिए जो ठेका कार्य वर्णित है उनमें बिल्डिंग से संबंधी कार्य शामिल है। और अवार्डर ने भी बिल्डिंग संबंधी कार्य कर ठेका दिया था जो कार्यादेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया है। "Execution of civil construction work of one number RCC holder work in SCL Beawar (SMP)" अतः इस कार्य के लिए अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार सारिणी के क्रम संख्या 2 के अनुसार 1.50% मुक्ति शुल्क का प्रावधान है। इस अधिसूचना में कार्य की प्रकृति का स्पष्ट वर्णन किया गया है। अतः इसमें भी कर निर्धारण अधिकारी ने बिल्डिंग कार्य फैक्ट्री में बनाने के आधार पर इसे प्लान्ट एवं मशीनरी से संबंधित माना है जो उचित नहीं है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने SBTR No. 6/2007, CTO बनाम पैनार इण्डस्ट्रीज लि0 के प्रकरण में दिए गए निर्णय दिनांक 22.05.2015 में स्पष्ट किया है कि रोड से संबंधित सभी कार्यो पर रोड के निर्माण पर देय EC Fees देय होगी, निर्णय का अंश निम्न प्रकार है :–

"On the national highway, as in the istant case, not only small vehicles travel but heavy vehicles i.e. trucks, trailers also travel and keeping in view the various sizes of the vehicles, such roads are being constructed and safety measures are adopted so that the accidents may not take place and only on account of fixing safety measures, the assessee was awarded contract of fixing "Works Profile Safety Barrier at Toll Plaza, National Higway No. 8", which, in my view, is certainly relating to part of the road. Developing/constructing a road over the years require latest technology and it is not merely putting concrete, grit, coal tar etc but many more things. The words "relating to" has a wide meaning and cannot be restricted only to putting of concrete, grit coal tar etc. but it should mean everything relating to road. The expression such as "arising out of" or "in respect of the" or "in connection with" or "in relation to" or "in consequence of" or "concerning" or "relating to" the contract are of the widest amplitude and content and include even questions as to the existence, validity and effect (scope)." अतः इस निर्णय का Ratio of Judgement हस्तगत प्रकरण में भी लागू होता है।

अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है। राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य